

कार्यालय जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता मामले नियन्त्रक, जीन्द।

शुद्धि-पत्र

विषय:- रबी तथा खरीफ 2018-19 की फसलों के लिए परिवहन कार्यो  
हेतु टैण्डर आमन्त्रित करने बारे।

-----000-----

महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग  
हरियाणा चण्डीगढ ने अपने पत्र क्रमांक एस0ओ0एम0पी0-1-2018/3273  
दिनांक 12.02.2018 के द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान रबी तथा खरीफ  
फसलों के लिए परिवहन कार्य के टैण्डर की नियम एवं शर्तो के Clauses No.  
4 (ii) में निम्न प्रावधान किया गया है "Certificate of work experience of previous/last  
three years from the concerned DFCS&CA/DM of the procurement agency of the district with detail  
of volume of work i.e. stock handled in MT from the mandi and payment receipt. Out of this at least  
one year experience of work done in handling & transpiration of foodgrains in the mandi/any other  
experience in transpiration of food grains equal to the volume of work to be done in the mandi/centre  
for which the tenderer is submitting the tender."। अतः टैण्डर की नियम एवं शर्तो में  
किया गया यह प्रावधान Prospective Date से ही प्रभावी समझा जाये। इसके  
अतिरिक्त जारी की गई अन्य नियम एवं शर्ते यथावत प्रभावी रहेंगी।



Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer  
Affairs.  
खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

(TO BE SUBSTITUTE SAME NO (SOMP-2018/1181-85 DATED 17.01.2018)

CORRIGENDUM

सेवा में

1. सभी उपयुक्त हरियाणा राज्य में।
2. सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरियाणा राज्य में।

यादि क्रमांक: एस0ओ0एम0पी-1-2018/ 3273  
दिनांक चण्डीगढ़ 12-2-18

विषय:- रबी तथा खरीफ 2018-19 की फसलों के लिए परिवहन कार्य हेतु टेंडर आमंत्रित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर मुख्यालय के पत्र क्रमांक एस0ओ0एम0पी-1-2018/1181-85, दिनांक 17.01.2018 के संदर्भ में।

1. सन्दर्भाधीन पत्र वर्ष 2018-19 के लिए जारी किए गए परिवहन टेंडर के terms and conditions के Clauses 4 (ii) में निम्न प्रावधान किया गया है:-
2. "Certificate of work experience of previous/last three years from the concerned DFCS&CA/DM of the procurement agency of the district with detail of volume of work i.e. stock handled in MT from the mandi and payment receipt. Out of this at least one year experience of work done in handling & transportation of food grains in the mandi/any other experience in transportation of food grains equal to the volume of work to be done in the mandi/centre for which the tenderer is submitting the tender."

नियम एवं शर्तों में किया गया यह प्रावधान Prospective Date से ही प्रभावी समझा जाए। इसके अतिरिक्त जारी की गई अन्य नियम एवं शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी। जिला नियंत्रको को निर्देश दिए जाते हैं कि नियम एवं शर्तों में किए गए उक्त परिवर्तन को सभी सम्बंधित को सूचनार्थ स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएं।

संयुक्त निदेशक (खरीद),  
कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा  
उपभोक्ता मामले, विभाग, हरियाणा।

2<sup>nd</sup> Floor, 30 Bays Building, Sector: 17-B, Chandigarh/सती मंजिल, 30 बेय बिल्डिंग, सेक्टर-17-बी, चण्डीगढ़

Please visit us at <http://haryanafood.nic.in>

E-mail/ई-मेल: [foods@hry.nic.in](mailto:foods@hry.nic.in)



Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
Directorate of Food Civil Supplies and Consumer  
Affairs.

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, निदेशालय

पू० क्रमांक: एस०ओ०एम०पी-1-2018/ 3274 दिनांक चण्डीगढ़ 12-02-19  
उपरोक्त की एक प्रति प्रबन्ध निदेशक, एच.डब्ल्यू.सी, हैफेड, हरियाणा एगो इण्ड. तथा मुख्य प्रशासक,  
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक (खरीद),  
कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा  
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पू० क्रमांक: एस०ओ०एम०पी-1-2018/ 3275 दिनांक चण्डीगढ़ 12-02-19  
उपरोक्त की एक प्रति मण्डल आयुक्त, अम्बाला, रोहतक, हिसार एवं गुड़गांव को सूचनार्थ एवं  
आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक (खरीद),  
कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा  
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पू० क्रमांक: एस०ओ०एम०पी-1-2018/ 3276 दिनांक चण्डीगढ़ 12-02-19  
उपरोक्त की एक प्रति मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु  
प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक (खरीद),  
कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा  
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पू० क्रमांक: एस०ओ०एम०पी-1-2018/ 3277 दिनांक चण्डीगढ़ 12-02-19  
उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित का नितायुक्त एवं प्रधान सचिव(खाद्य) एवं निदेशक (खाद्य) के  
सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. पी.एस/अतिरिक्त मुख्य सचिव, (खाद्य),
2. पी.एस./निदेशक (खाद्य)।

संयुक्त निदेशक (खरीद),  
कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा  
उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

2<sup>nd</sup> Floor, 30 Bays Building, Sector: 17-B, Chandigarh/दुवरी मंडल, 30 बेय बिल्डिंग, सेक्टर-17-बी, चण्डीगढ़

Please visit us at <http://haryanafood.nic.in>

E-mail/ई-मेल: [foods@hry.nic.in](mailto:foods@hry.nic.in)